HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc. Suspension Of Sentence Application No. 366/2026
In
S. B. Criminal Appeal No. 413/2026

Shanti Devi W/o Rambharosi, Aged About 66 Years, R/o Village Lalpur, Police Station Diholi, District Dholpur (Raj.)
(At Present Confined In Central Jail Sewar)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.P.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Yogesh Singhal, Adv. Ms. Saroj Singh, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Devi Singh, PP

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Order

07/05/2026

1. प्रार्थीया–अभियुक्ता की ओर से धारा 430 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत प्रस्तुत सजा स्थगन/जमानत आवेदन पर दोनों पक्षों को सुना गया। अधीनस्थ विचारण न्यायालय के आलोच्य निर्णय एवं पत्रावली पर उपलब्ध कानूनी व तथ्यात्मक स्थिति पर विचार किया गया।

2. विद्वान विचारण न्यायालय **सेशन न्यायाधीश, धौलपुर** द्वारा सेशन प्रकरण संख्या **50/2025** में पारित निर्णय **13.02.2026** के माध्यम से प्रार्थीया–अभियुक्ता को धारा **304बी, 201 भा.दं.सं.** के अपराध में अधिकतम **10** वर्ष के **साधारण** कारावास से दंडित किया है।

3. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया–अभियुकता का निवेदन है कि मृतका के पीहर पक्ष के परिजनों की व्यक्तिगत रूचि होने से मिथ्या आरोप लगाया है, मृतका के ससुराल के पड़ोसी गवाहान सभी पक्षद्रोही रहे हैं, किसी स्वतंत्र गवाह ने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है, सह–अभियुक्त रामभरोसी व महेश का दण्डादेश स्थगित हो चुका है, पूर्व में पुलिस द्वारा अभियुक्ता के

विरूद्ध नकारात्मक अंतिम प्रतिवेदन पेश किया गया था। अभियुक्ता के विरूद्ध धारा 319 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रसंज्ञान लेकर बाद विचारण दण्डित किया है। उनका यह भी निवेदन है कि अभियुक्ता करीब पौने तीन माह से कारावास की सजा भुगत रही है, अपील के निस्तारण में समय लगेगा, दोषसिद्धी हेतु कोई विश्वसनीय साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है, अपील में अभियुक्त के सफल होने की पूर्ण संभावना है, अतः यह सजा स्थगन आवेदन स्वीकार करते हुए सजा स्थगित किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान लोक अभियोजक ने अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए सजा स्थगन आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. सुना गया एवं समस्त तथ्यों व तर्कों पर विचार किया गया।

6. वर्तमान मामले में मृतका का विवाह दिनांक 05.05.2011 को हुआ है तथा दिनांक 20.11.2011 को मृतका के ससुराल में असामान्य व अस्वाभाविक परिस्थिति में मृत्यु हुई है, जिसके संबंध में मृतका के पिता द्वारा दिनांक 22.11.2011 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। प्रारंभ में मृतका के पति व ससुर के विरूद्ध पुलिस द्वारा आरोप पत्र पेश किया गया, परंतु विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्ता के विरूद्ध धारा 319 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रसंज्ञान लिया गया, जिसके विरूद्ध निगरानी याचिका माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई, परंतु प्रसंज्ञान आदेश यथावत रहा। प्रार्थीया–अभियुक्ता मृतका की सास है और शादी के तुरंत पश्चात् ही दहेज की मांग को लेकर आए–दिन मृतका के साथ क्रूरता का व्यवहार किया और इस कारण से दहेज मृत्यु का आरोप अभियुक्ता पर है।

7. मृतका के ससुराल के पड़ोसी अधिकांश गवाहान के द्वारा घटना के संबंध में अज्ञानता अथवा इनकारी की है लेकिन मृतका के परिजनों की मौखिक साक्ष्य व अन्य सामग्री के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष दिया है कि मृतका के साथ अभियुक्ता द्वारा दहेज की मांग को लेकर क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया तथा शव को प्राप्त करने के लिए मृतका के परिजन, जो कि 40–50 किलोमीटर की दूरी पर निवास करते हैं, उनके पहुंचने से पूर्व ही मृतका के शव का अंतिम संस्कार कर दिया। इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्ता को धारा 304बी व 201 भा.दं.सं. के आरोप से दण्डित किया गया है।

8. मृतका के पति–महेश तथा ससुर–रामभरोसी के दण्डादेश स्थगन के समय उनकी अभिरक्षा की अवधि क्रमशः 4 वर्ष 5 माह व 2 वर्ष से अधिक हो चुकी थी और तत्समय यह तर्क दिया गया था कि सारे आरोप मृतका की सास अर्थात् वर्तमान अभियुक्ता पर हैं। विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित अधिकतम 10 वर्ष की सजा के मुकाबले अभियुक्ता द्वारा भुगती गई सजा तीन माह भी पूर्ण नहीं हुई है।

9. अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, उपलब्ध साक्ष्य, उसकी विश्वसनीयता, अपराध की गंभीरता आदि को दृष्टिगत रखते हुए, प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना यह सजा स्थगन आवेदन/जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

10. परिणामतः **प्रार्थीया–अभियुक्ता शांति देवी पत्नी रामभरोसी** की ओर से प्रस्तुत यह सजा स्थगन/जमानत आवेदन अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(UMA SHANKER VYAS),J

DINESH KUMAWAT /40